न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

बइजलास–पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– /2020

प्रार्थी :– श्री शंकरराम पुत्र पेमाजी जाति माली तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. पारसमल पुत्र पेमाजी जाति माली
2. कालुराम पुत्र पारसमल जाति माली
3. जबराराम पुत्र पारसमल जाति माली
4. बक्सुखां दत्तक पुत्र करीमखांजी जाति सिपाही मुसलमान
5. असरफखां पुत्र मलेखांजी जाति सिपाही मुसलमान
6. चांदबाई पुत्री मलेखांजी जाति सिपाही मुसलमान निवासी सिवाना जिला बाडमेर राजस्थान
7. शाखा प्रबधक, एस बी आई कृषि विकास बैक शाखा सिवाना
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 रा.का.अ. सपठित धारा आदेश 39 नियम 1,2 दी.प्र.सं. हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा

उपस्थित:– 1. श्री गजेसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

2 श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03

–: आदेश :–

दिनांक – 13.09.2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 ता 03 के जर खरीद सुदा व विप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की पुश्तैनी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम सिवाना में खसरा संख्या 876 रकबा 5.4633 हैक्टेयर भूमि आई हुई है उक्त भुमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 ता 03 के पुर्व खातेदार पोकरचन्द पुत्र पोपाजी जाति ओसवाल निवासी सिवाना से उनका हिस्सा 1/2 को प्रार्थी ने 1/6 हिस्सा व विप्रार्थी सं. 1 ने 1/6 हिस्सा एवं विप्रार्थी सं.2 व 3 ने 1/6 हिस्सा जरिए रजिस्ट्रड दस्तावेज के दिनाक 29/06/1990 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से उक्त भूमि पर उप[illegible]र कब्जा काश्त हैं प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त खेत की नकल [illegible] हेतु दिनांक 2[illegible]/2019 को हल्का पटवारी से लेने गया तो हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/[illegible] ही हैं जो गलती से दर्ज होना बताया जिसको दुरस्त करने हेतु हल्का पटवारी को कहा तो हल्का पटवारी ने कोर्ट से करवाने हेतु कहा। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 ता 3 के संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती होने व प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज नही होने से प्रार्थी को भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:05:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

सुधार हेतु बैंक से ऋण लेने एवं अपने अपने जोत भूमियों के सुधार करने मे कई प्रकार कानूनी परेशानिया आती है विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का मौका कब्जा काश्त अलग है अपने हक व हिस्सेदारी भूमि पर विप्रार्थीगण हमेशा प्रार्थी के कब्जा काश्त में हमेशा दखल करते रहे है ऐसा करने को उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है एवं विप्रार्थी ने प्रार्थी को नुकसान पहुचाने के इरादे से जानबूझ कर वादी के कब्जा काश्त को अन्यत्र हस्तान्तरित करने की धमकिया देते रहते है यदि विप्रार्थीगण की उक्त पैतृक भूमि जबरन अजनबी केता को बेचान कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में संभव नहीं है। जिससे यह आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक होने से पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा दावा बाबत अधिकार घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक .07.06.2019 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 3 की ओर वकील श्री कैलाशपुरी उपस्थित हुए तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सभी पदों को खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर उनका 1/8 हिस्से पर कब्जा है तथा उक्त वादग्रस्त भुमि का 1/2 हिस्सा पोकरचन्द पुत्र पोपाजी ओसवाल से पारस पुत्र पेमाजी, कालुराम पुत्र पारसमल, जबराराम पुत्र पारसमल, शंकरलाल पु पेमाजी ने संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर बराबर खरीद किया था। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 3 उनके हिस्से की उक्त वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्तकार है तथा प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में 1/8 हिस्से का इन्द्राज है अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा अनुतोष एक रेकर्डेड खातेदार के विरूद्व पारित नहीं किया जा सकता है, मात्र विप्रार्थी के रहवासीय मकान निर्माण को रूकवाने हेतु उक्त दूषित मंशा से प्रार्थनापत्र पेश कीया हैं अर्थात प्रार्थी का वाद पत्र प्रथम दृष्टया काबिल खारीज के है तो दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा विप्राथीगण के विरूद्व जारी करना कतई सम्मत नहीं है तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति जैसे विचारणीय विधिक विन्दू भी विप्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है न कि प्रार्थीगण के पक्ष में चूंकि विप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है व मौके पर काबिज काश्त हैं। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व्यय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:05:20 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अब इस न्यायालय को तय यह करना है कि **क्या प्रार्थी विरूद्ध विप्रार्थीगण निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?** पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

विप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार टिनेन्ट है। मूल वाद में वादी/प्रार्थी किसी हिस्से का अधिकारी घोषित होता है तो विप्रार्थीगण द्वारा दौराने दावा किया गया अन्तरण धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो से प्रभाव रखेगा। आज के दिन विप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार के तौर पर जमाबंदी में दर्ज है प्रथम दृष्टियां मामला सुविधा का सन्तुलन व क्षति का सिद्वान्त विप्रार्थीगण के विरूद्व में व प्रार्थी के पक्ष इस स्तर पर पाये जाते है। उपर्युक्तानुसार इस प्रार्थना पत्र मे अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनो की बिन्दु प्रार्थी के पक्ष तथा विप्रार्थीगण के विरूद्ध मे साबित होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के हक हिस्से, कब्जा काश्त की भुमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का दखल हस्तक्षेप नही करे मौके व रेकर्ड की यथास्थिती वादपत्र के निस्तरण तक यथावत बनाये रखे। साथ ही विप्रार्थी सं. 1 ता 3 को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा की छुट इस हद तक दी जाती हैं कि विप्रार्थी अपना एकमात्र रहवासीय मकान जो नीवों तक बना हुआ हैं, को निर्माण कर पुर्ण कर सकेगा, शेष भुमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा जारी रखी जाती हैं पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। खर्चो पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना
(S.D.O) सिवाना

आदेश आज दिनांक 13.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:05:20 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना